



भारतीय रिजर्व बैंक, शिमला की आवश्यकताओं के अनुसार कॉल के आधार पर कार उपलब्ध कराने के लिए एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों का पैनल

यह खुली निविदा जांच है। तथापि, केवल वे बोलीदाता/विक्रेता/एजेंसियां जो निविदा में निर्धारित अर्हता मानदंडों के अनुसार कार्य के लिए अर्हता प्राप्त हैं, इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा के लिए अपनी पात्रता के समर्थन में एमएसटीसी वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड करें।

1.	ई-निविदा का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक, शिमला की आवश्यकताओं के अनुसार कॉल के आधार पर कार उपलब्ध कराने के लिए एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों का पैनल
2.	ई-निविदा सं.	RBI/SHIMLA REGIONAL OFFICE/Others/11/25-26/ET/1058
3.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली के माध्यम से www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi)
4.	निविदा की अनुमानित लागत	₹25.00 लाख लगभग
5.	बयाना धन जमा (EMD) का विवरण	₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) एनईएफटी द्वारा हमारे खाता संख्या 186003001 आईएफएससी: RBIS0SMPA01 (बाएं से 5 वें और 10 वें स्थान पर संख्यात्मक शून्य) लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, शिमला। कृपया आवेदन करते समय यूटीआर लेनदेन विवरण का उल्लेख करें।
6.	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से या मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा दी गई सलाह के अनुसार भुगतान किया जाना है।
7.	एनआईटी की तारीख भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए पार्टियों के लिए उपलब्ध है।	27 फरवरी, 2026; 12:00 बजे



8.	ई-निविदा (तकनीकी बोली और मूल्य बोली) ऑनलाइन जमा करने की तिथि www.mstcecommerce.com/epr ochome/rbi	27 फरवरी, 2026; 12:00 बजे
9.	बोली पूर्व बैठक	06 मार्च, 2026; 15:30 बजे
10.	बोली पूर्व बैठक का स्थान	सम्मेलन हॉल, चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, कसुम्पटी, शिमला -171009
11.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	22 मार्च, 2026; 14:00 बजे
12.	ई-निविदा के ऑनलाइन जमा करने की समाप्ति की तिथि (तकनीकी बोली और मूल्य बोली)	22 मार्च, 2026; 14:00 बजे
13.	भाग-I खोलने की तिथि और समय (तकनीकी बोली)	23 मार्च, 2026; 11:00 बजे
14.	भाग-II खोलने की तिथि एवं समय (वित्तीय बोली)	भाग-II निविदाकारों की वित्तीय बोली केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं को खोली जाएगी जो पूर्व-अर्हता/पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अन्य सभी निबंधन और शर्तों को भी पूरा करते हैं। ऐसे बोलीदाताओं को भाग-II वित्तीय बोली खोलने की तारीख के बारे में केवल बोलीदाताओं द्वारा उनकी तकनीकी बोली में उपलब्ध कराए गए ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

कोई भी शुद्धिपत्र केवल आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया जाएगा

**क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
शिमला**



भारतीय रिज़र्व बैंक शिमला

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला की आवश्यकताओं के अनुसार कॉल के आधार पर कार उपलब्ध कराने के लिए एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों के पैनल में शामिल करने के लिए ई-निविदा।

RBI/SHIMLA REGIONAL OFFICE/Others/11/25-26/ET/1058

निविदाकर्ता का नाम/ निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

संपर्क विवरण/ संपर्क विवरण: _____

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि

22 मार्च 2026; 14:00 बजे

निविदा के भाग-I के खुलने की तिथि

23 मार्च 2026; 11:00 बजे



अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, शिमला (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है), ने इच्छुक पार्टियों को अनुबंध पर पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि बैंक ने यहां निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे क्रम में मानता है, न तो बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार में से कोई वारंटी देते हैं या इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में व्यक्त या निहित कोई अभ्यावेदन देते हैं या किसी भी जानकारी के संबंध में प्रदान की जा सकती है यह।

जानकारी संपूर्ण होने का इरादा नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी स्वयं की पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा जमा करने में केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए गैर-बाध्यकारी है। दस्तावेज़ के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच अर्थों के टकराव के मामले में, अंग्रेजी संस्करण की व्याख्या प्रबल होगी।

बैंक अनुबंध के साथ आगे न बढ़ने या अनुबंध के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय-सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।



भारतीय रिज़र्व बैंक शिमला

ई-टेंडर आमंत्रित करने की सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला की आवश्यकताओं के अनुसार कॉल के आधार पर कार उपलब्ध कराने के लिए एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों के पैनल में शामिल करने के लिए ई-निविदा।

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है), भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य बाजार, कसुम्पटी, शिमला को आवश्यकताओं के अनुसार कॉल के आधार पर कार प्रदान करने के लिए कार किराए पर लेने वाली एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों के पैनल के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है। अनुबंध शुरू में 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक वैध होगा, और सेवा प्रदाता के प्रदर्शन के आधार पर, अनुबंध को बैंक के विवेक पर या बैंक द्वारा तय की गई किसी भी अवधि के लिए वार्षिक रूप से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में, इसे दो साल से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

निविदाकर्ताओं को ई-टेंडर के संबंध में निर्देशों के अनुसार, **22 मार्च, 2026 को 14:00 बजे** या उससे पहले सभी प्रकार से पूर्ण सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। निविदाकार केवल एनईएफटी के माध्यम से **₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र)** की वापसी योग्य बयाना राशि जमा (ईएमडी) के साथ ई-निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जो निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण होगा।

भाग- I (तकनीकी बोली) **23 मार्च, 2026 को 11:00 बजे** इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा। ऊपर बताई गई किसी भी तारीख को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए संचालित हो जाएगा।

निविदा दस्तावेज वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> या <https://www.mstcecommerce.com> से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल उपर्युक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
शिमला



विषय-सूची

अनुभाग/अनुलग्नक	या किस्म	पेज नं.
भाग I		
खंड I	ई-टेंडर (एसओटी) की अनुसूची	5
	निविदा प्रपत्र	6-7
खंड II	ई-टेंडर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश	8-13
खंड III	पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंड	14-16
धारा IV	मूल्यांकन मानदंड	17-18
खंड V	अनुबंध का दायरा और सेवाएं	19-20
धारा VI	अनुबंध के नियम और शर्तें	21-33
धारा VII	तरलता क्षति	34-36
धारा VIII	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली/तकनीकी बोली	37-41
भाग II		
खंड IX	वित्तीय/मूल्य बोली के नियम और शर्तें	42-44
अनुलग्नक-I	ग्राहक सूची	45
अनुलग्नक-II	मालिक/एजेंसी के नाम पर स्वामित्व वाली कारों/वाहनों की सूची	46
अनुलग्नक-III	निविदाकर्ता के लेटर हेड पर दिया जाने वाला वचन पत्र	47-48
अनुलग्नक-IV	प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा	49-50



भाग-I, खंड-I

ई-टेंडर की अनुसूची (एसओटी)

1.	विभाग का नाम	मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला
2.	ई-टेंडर नं.	RBI/SHIMLA REGIONAL OFFICE/Others/11/25-26/ET/1058
3.	ई-टेंडर का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला को आवश्यकताओं के अनुसार कॉल आधार पर कार उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर लेने वाली एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों के पैनेल के लिए ई-निविदा।
4.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑनलाइन (भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - https://www.mstcecommerce.com/eprocnc/ के माध्यम से वित्तीय बोली
5.	निविदा का अनुमानित मूल्य (करों सहित)	₹25.00 लाख लगभग
6.	एमएसटीसी वेबसाइट पर डाउनलोड करने और बोली शुरू करने के लिए उपलब्ध निविदा की तिथि	27 फरवरी, 2026; 12:00 बजे
7.	प्री-बिड मीटिंग की तिथि	06 मार्च, 2026; 15:30 बजे
8.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	22 मार्च, 2026; 14:00 बजे
9.	तकनीकी बोली और वित्तीय बोली ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	22 मार्च, 2026; 14:00 बजे
10.	भाग-I यानी तकनीकी बोली के खुलने की तिथि और समय	23 मार्च, 2026; 11:00 बजे
11.	बयाना धन जमा (EMD)	₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) एनईएफटी द्वारा हमारे खाता संख्या 186003001 आईएफएससी: RBIS0SMPA01 (बाएं से 5 वें और 10 वें स्थान पर संख्यात्मक शून्य) लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला। कृपया आवेदन करते समय यूटीआर लेनदेन विवरण का उल्लेख करें।
12.	भाग-II यानी वित्तीय बोली के खुलने की तिथि और समय	भाग-II निविदाकारों की वित्तीय बोली केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं को खोली जाएगी जो पूर्व-अर्हता/पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अन्य सभी निबंधन और शर्तों को भी पूरा करते हैं। ऐसे बोलीदाताओं को भाग-II वित्तीय बोली खोलने की तारीख के बारे में केवल बोलीदाताओं द्वारा उनकी तकनीकी बोली में उपलब्ध कराए गए ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
13.	लेनदेन शुल्क	लेन-देन शुल्क, जैसा भी लागू हो, ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड को भुगतान किया जाएगा



निविदा प्रपत्र

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुख्य बाजार, कसुम्पटी

शिमला

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला की आवश्यकताओं के अनुसार कॉल के आधार पर कार उपलब्ध कराने के लिए एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों के पैनल में शामिल करने के लिए ई-निविदा।

1. शीर्षक दिए गए कार्य से संबंधित आवश्यकताओं, शर्तों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने और कार्यों के स्थल का दौरा करने और जांच करने के बाद और निविदा को प्रभावित करने वाले के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार कॉल के आधार पर कार प्रदान करने की सेवाएं लेने की पेशकश करता हूं। वित्तीय बोली में उल्लिखित दरों पर और निविदा दस्तावेज में निर्धारित विभिन्न शर्तों के अनुसार शिमला को वित्तीय बोली में निर्धारित किया गया है।
2. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या डिफ़ॉल्ट रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त शर्तों में निर्दिष्ट राशि को जप्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
3. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि निविदा निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। मैं/हम बयाना धन जमा (ईएमडी) और सुरक्षा जमा प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं, जो निविदा/अनुबंध की वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध है।
4. मैं/हम एतद्वारा ई-निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
5. मैं/हमने इस ई-निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों और निर्देशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और स्वयं उक्त नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन दिया है।

6. मैं/हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम, ईएसआई, पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, रिलीविंग चार्ज, वर्दी और उसके भत्ते और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य प्रभारों जैसे अन्य सांविधिक प्रावधानों का पालन करेंगे। मैं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार तैनात कर्मियों को मजदूरी का भुगतान करूंगा और किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। मैं/हम बैंक की संतुष्टि के लिए मासिक आधार पर तैनात कर्मियों के बैंक खाते का विवरण और उपरोक्त के लिए दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे।

मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बिना कोई कारण बताए के।

इस दिनांकित2026 का दिन

मैसर्स की ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम:-

उपाधि:-

स्थान:-



भाग- I, खंड- II

ई-टेंडर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिजर्व बैंक, शिमला का एक ई-खरीद कार्यक्रम है। ई-निविदा सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना और बाद में शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, में नियमों और शर्तों को पढ़ें और समझें। जो निविदाकार दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे मूल्य बोली खोलने के लिए निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

अ. ई-टेंडर की प्रक्रिया:

पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। बोलियां जमा करने का यह काम इंटरनेट पर किया जाएगा। विक्रेता के पास एक वैध कक्षा III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)। विक्रेताओं को सबमिट → <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> → रजिस्टर (विवरण भरना और स्वयं की यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना) के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक _। कृपया आगे बढ़ने से पहले पंजीकरण लिंक में उपलब्ध 'पंजीकरण गाइड' का पालन करें।

ई-मेल और मोबाइल नंबर ओटीपी सत्यापित किया जाएगा।

विक्रेताओं को उनके ईमेल में पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

सिस्टम जनित मेल प्राप्त करने के लिए विक्रेताओं को खरीदारों और श्रेणियों की सदस्यता लेनी होगी। सदस्यता लेने के लिए, एक विक्रेता को लॉगिन करना होगा और 'मेरी सदस्यता' पर क्लिक करना होगा और उसके बाद 'सदस्यता जोड़ें' पर क्लिक करना होगा। सफल सदस्यता पर, एक सिस्टम जनरेटेड मेल विक्रेता को अग्रेषित किया जाएगा। कृपया आगे बढ़ने से पहले डैशबोर्ड में उपलब्ध 'डाउनलोड गाइड' की 'सदस्यता' के लिए गाइड का पालन करें।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई, शिमला से संपर्क करें (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी): एमएसटीसी चंडीगढ़

MSTC सहायता डेस्क: 07969066600 (सिस्टम सेटिंग्स से संबंधित समस्याओं के लिए)
श्री केशव अरोड़ा, उप प्रबंधक- cdgopn1@mstcindia.in
मोबाइल -0172-2584921
श्री पंकज कुमार, उप प्रबंधक cdgopn2@mstcindia.in
फोन- 0172-2584921

आरबीआई शिमला में व्यक्ति से संपर्क करें

1. श्री अनुराग भाटोआ, प्रबंधक, एचआरएमडी, मोबाइल: 7018486002, (anuragbhatoo@rbi.org.in)
2. श्री अजय जांगिड़, सहायक प्रबंधक, सुरक्षा, मोबाइल: 9414081250, (ajayjangir@rbi.org.in)

एक. सिस्ट आवश्यकताएँ:

विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम

दो. कृपया ध्यान दें कि एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (नीचे दिखाया गया है) के उपयोग के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स आवश्यक हैं, जो पोर्टल स्वयं पृष्ठ खोलने पर उपयोगकर्ता को करने के लिए मार्गदर्शन करता है। एक बार सेटिंग्स हो जाने के बाद, उपयोगकर्ता (क्रेता/विक्रेता/व्यवस्थापक) बिना किसी समस्या के पोर्टल तक पहुंच सकते हैं।

सिस्टम आवश्यकताएँ:

अ. विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम

आ. माइक्रोसॉफ्ट एज/क्रोम/मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स

इ. हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार वर्ग III डिजिटल हस्ताक्षर

ई. जावा 1.8 या इसके बाद के संस्करण

उ. स्थानीय सिस्टम व्यवस्थापक अधिकार

अ. नोट: "व्यवस्थापक के रूप में चलाएँ" के रूप में न चलाएँ।

आ. स्थापना के दौरान कोई उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए

ऊ. URL <https://www.mstcecommerce.com/eproc/> खोलने पर, सिस्टम सेटिंग्स की जांच करेगा और सेटिंग्स को सही करने के लिए उपयोगकर्ता को कार्रवाई के लिए संकेत देगा।

ऋ.

System Settings Check Status

Status	Incorrect System Settings	Download System Settings Guide	Download Certificate
Please Correct the Following Settings:			
If You Do Not Have Java Installed, Please Install Java	Download Java		
Based On The Java Version You Have Installed Please Download PKI Application	Latest Version: 11	Installed Version:	
	If You Have Java 32 Bit Installed Download	If You Have Java 64 Bit Installed Download	
If You Have Installed Both Java And Pki Application, Please Update Browser Settings	If You Are Using Google Chrome Or Edge: - Open URL https://localhost:13591/signservice/getdata And Click To Allow Connections.		
	If You Are Using Firefox: - Open URL https://localhost:13591/signservice/getdata And Add Security Exception To Allow Connections.		

ल. यदि आपके पास 32-बिट जावा स्थापित है तो PKI अनुप्रयोग 32 बिट स्थापित किया जाना है या यदि आपके पास 64 बिट जावा स्थापित है, तो PKI अनुप्रयोग 64 बिट स्थापित किया जाना है।

ऐ. एक बार सभी सेटिंग्स हो जाने के बाद, सिस्टम चेक डायलॉग बॉक्स गायब हो जाएगा और उपयोगकर्ता पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है।

B. ई-टेंडर में बोली लगाना

अ. इस प्रक्रिया में बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

आ. बोलीदाता एमएसटीसी की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> में इंटरनेट के माध्यम से अपनी बोली जमा कर सकते हैं।

इ. एनआईटी/दस्तावेज कार्यक्रम के 'घटना विवरण' के तहत उपलब्ध ईवेंट कैटलॉग में डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे।

ई. कृपया बोली जमा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले डैशबोर्ड में उपलब्ध 'डाउनलोड गाइड' के तहत https://www.mstcecommerce.com/eprocn/admin/registration/vendor_registration.jsp#step-1 और अन्य गाइड 'सदस्यता', 'भुगतान', 'बोली', 'रिपोर्ट देखें/डाउनलोड करें' और 'एन्क्रिप्शन सार्वजनिक कुंजी अपलोड करें' 'एन्क्रिप्शन सार्वजनिक कुंजी अपलोड करें' और 'बोली' लिंक में उपलब्ध पंजीकरण के लिए मार्गदर्शिकाओं का पालन करें।

उ. बोलीदाता बोली से संबंधित दस्तावेज 'मेरे दस्तावेज' लिंक पर अपलोड कर सकते हैं। यहां अपलोड किए गए दस्तावेज इस कार्यक्रम के साथ बोली बैठक में संलग्न करने के लिए उपलब्ध होंगे।

ऊ. बोली जमा करने के लिए, एक विक्रेता को मेनू से 'ईवेंट' पर जाना होगा और 'बिड फ्लोर' का चयन करना होगा। विक्रेता को लाइव ईवेंट सूची देखने के लिए खरीदार सूची से खरीदार 'खरीदार' का चयन करना होगा। भागीदारी के लिए ईवेंट सूची से सही ईवेंट का चयन करना होगा। एक विक्रेता को 'घटना वार बोली विवरण' प्रस्तुत करना

होगा जिसमें 'पीक्यूआर'/'सामान्य शर्तें'/'दस्तावेज अनुलग्नक' शामिल हो सकते हैं। एक विक्रेता को संबंधित बटनों पर क्लिक करके पीक्यूआर/सामान्य शर्तें/दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इवेंट विशिष्ट बोलियां सहेजने के बाद, स्थिति "ईवेंट विशिष्ट बोली स्थिति" में अपडेट हो जाती है और बोली फ्लोर पर "आइटम विशिष्ट बोली" बटन दिखाई देता है। इसके बाद विक्रेता को लॉट विशिष्ट तकनीकी बोली/मूल्य बोली बचानी होगी। एक विक्रेता को विशिष्ट लॉट के लिए तकनीकी बोली को बचाने के लिए 'तकनीकी कवर' के तहत बटन पर क्लिक करना होगा। एक बार तकनीकी बोली सहेज लेने के बाद, संबंधित लॉट के लिए स्क्रीन पर 'मूल्य कवर' बटन दिखाई देता है। एक बार मूल्य बोली सहेज लेने के बाद, विक्रेता को 'फाइनल सबमिट' पर क्लिक करना होगा। अंतिम रूप से बोली जमा करने पर बोली जमा करने की स्थिति 'मद विशिष्ट बोली स्थिति' के अंतर्गत 'प्रस्तुत बोली' को प्रदर्शित करेगी। एक विक्रेता सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त करेगा।

नोट: - बोलीदाता द्वारा अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद बोली को संशोधित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यदि बोलीदाता अपनी बोलियों को बदलना चाहता है तो वह बोली को हटा सकता है और उसे फिर से जमा कर सकता है।

क्र. सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

ल. पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

ऐ. ई-निविदा पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुली रहेगी।

ऐ. ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसे स्वीकार करने से क्रेता और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध होगा।

ए. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऐ. क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए के।

ऑ. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।

ओ. माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा मंजिल में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

ओ. लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान आपके लॉगिन में उपलब्ध "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में किया जाना चाहिए।

नोट: बोलीदाताओं को निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले लेनदेन शुल्क अग्रिम रूप से जमा करना चाहिए क्योंकि वे एमएसटीसी द्वारा लेनदेन शुल्क प्राप्त होने के बाद ही बोली जमा करने के लिए सक्रिय होंगे।

- औ. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे एनआईटी में दी गई सलाह के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, शिमला को निविदा शुल्क और ईएमडी, यदि कोई हो, का प्रेषण करें।
- अं. बोलीदाता (ओं) को सभी नोटिस और पत्राचार केवल प्रक्रिया के दौरान ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे, जब तक कि 'खरीदार' द्वारा निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रदान की गई उनकी आधिकारिक ईमेल आईडी एमएसटीसी (यानी, सेवा प्रदाता) के साथ विक्रेता के पंजीकरण के चरण में वैध और अद्यतन है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।
- अः. एनआईटी में उल्लिखित वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाले पक्षकारों की सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले एक बार फिर से वेबसाइट देखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद उक्त निविदा के लिए अपलोड किए गए किसी भी शुद्धिपत्र से चूक नहीं गए हैं। संबंधित शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी केवल बोलीदाताओं की होगी।
- अअ. इस एनआईटी को शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के संबंध में कोई अलग सूचना निविदाकर्ताओं को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेब साइट से दस्तावेज डाउनलोड किए हैं।
- आआ. एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।
- इइ. बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क अलग से जमा करने की आवश्यकता होती है। **लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।** ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के ईएमडी को कार्य सौंपने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक, शिमला द्वारा वापस कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता का ईएमडी इसके लिए सुरक्षा जमा/निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त होने के बाद वापस कर दिया जाएगा। यदि निविदा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता अपनी बोली वापस ले लेता है तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।
- ईई. जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/> ईप्रोकन में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोलियां और मूल्य बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।
- उउ. इस ई-टेंडर के परिणामस्वरूप होने वाला कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।
- ऊऊ. नियम और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
- ऋऋ. क्रेता को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
- लल. ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/eproc> पर निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- एँएँ. बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हों) अपलोड करने चाहिए।

अपलोड किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है।

ऐसे बोली का मूल्यांकन भरे हुए मूल्य बोली प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।

एए. निविदा के संबंध में किसी भी रूप में प्रचार करना सख्त वर्जित है और प्रचार का सहारा लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियां अस्वीकार की जा सकती हैं।



भाग- I, खंड- III

पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंड

केवल वे निविदाकर्ता जो निम्नलिखित पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला की आवश्यकताओं के अनुसार कॉल के आधार पर कार प्रदान करने के लिए कार किराए पर लेने वाली एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों के पैनल के लिए ई-निविदा लागू करने के पात्र हैं।

दस्तावेजी साक्ष्य / घोषणा को नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंड के लिए अपलोड/प्रदान किया जाना चाहिए, जिसके अभाव में बोली अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।

1.	अनुभव	१) 31 दिसंबर, 2025 तक कार किराए पर लेने/किराए पर लेने की सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में पांच (05) वर्ष का न्यूनतम अनुभव। बोलीदाता निर्दिष्ट प्रारूप अनुलग्नक-1 के अनुसार सेवा प्रदान करने वाले ग्राहकों (वर्तमान और पिछले) की सूची अपलोड करेगा। २) बोलीदाता को 31 दिसंबर, 2025 तक पिछले पांच (05) वर्षों में से किसी भी तीन (03) वर्षों के दौरान सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कार किराए पर लेने/किराए पर लेने की सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में अनुभव होगा और उन्हें निष्पादित करना चाहिए: (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी प्रमाण यानी अनुभव प्रमाण पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें)
4.	वार्षिक टर्नओवर	निविदाकर्ताओं का वार्षिक कारोबार तीन (03) वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के दौरान संविदा की अनुमानित लागत (25,00,000/- रुपये) के 100 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 (एमएसटीसी पोर्टल पर आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र/मूल्यांकन आदेश/खातों का सीए प्रमाणित विवरण/लेखापरीक्षित बैलेंस शीट अपलोड करें)
3.	कारों का बेड़ा	१) निविदाकर्ता के पास 06 (छह) स्वामित्व वाली कारों का न्यूनतम बेड़ा होगा जिसमें निम्नलिखित कारें शामिल होंगी: अ. मारुति स्विफ्ट डिजायर/होंडा अमेज/टोयोटा इटियोस/हुंडई ऑरा या इसी तरह की कैटेगरी आ. टोयोटा इनोवा/मारुति सुजुकी अर्टिगा/टोयोटा रुमियन इ. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा/इनोवा हाइक्रॉस

		२) कुल कारों में से, टेंडर के पास मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, होंडा अमेज़, टोयोटा इटियोस, हुंडई ऑरा या इसी तरह की श्रेणी में न्यूनतम 03 कारें होंगी और उनके बेड़े में 03 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा/इनोवा हाइक्रॉस या इसी तरह की श्रेणी होंगी। ३) आरबीआई को प्रदान किए गए वाहन सड़क योग्य होंगे और 31 दिसंबर, 2025 तक 05 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होंगे। ४) कार को वाणिज्यिक वाहन के रूप में आरटीओ के साथ पंजीकृत किया जाएगा। (अनुलग्नक-II के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) की प्रतियां अपलोड करें) ५) वाहनों के पास वैध अखिल भारतीय टैक्सी परमिट होंगे। (एमएसटीसी पोर्टल पर सभी वाहनों के लिए टैक्सी परमिट की प्रतियां अपलोड करें)
5.	ऑफिस	निविदाकर्ता का शिमला में अपना कार्यालय होगा। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करें)
6.	जीएसटी पंजीकरण	निविदाकर्ताओं के पास वैध जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए। (एमएसटीसी पोर्टल पर जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करें)
7.	बयाना धन जमा (EMD)	इच्छुक निविदाकर्ता को 22 मार्च, 2026 को या उससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, शिमला-171009 के साथ EMD के रूप में ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) की राशि जमा करनी होगी; 14:00 बजे। ईएमडी के बिना ई-टेंडर को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
8.	उपक्रम/घोषणा	निविदाकर्ता को निविदाकर्ता के लेटरहेड पर अनुलग्नक-III में निर्दिष्ट उपक्रम/घोषणा को अपलोड/प्रस्तुत करना होगा कि एजेंसी/कंपनी/फर्म के खिलाफ कोई मामला/न तो जांच/जांच/परीक्षण के तहत कोई आरोप नहीं होना चाहिए, और न ही इसे न्यायालय में दोषी ठहराया जाना चाहिए या किसी भी आधार पर किसी संगठन द्वारा निलंबित/काली सूची में डाला जाना चाहिए। तथ्यों को छिपाने और बाद में पता लगाने से अनुबंध रद्द हो जाएगा/बोली को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। (एमएसटीसी पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार बोलीदाता के लेटरहेड पर ही उपक्रम/घोषणा अपलोड करें)

नोट: निविदाकर्ताओं द्वारा जारी की गई निविदाएं जो पूर्व-अर्हता/पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं और उपर्युक्त सभी विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के बिना और निविदा में उल्लिखित अन्य निबंधन और शर्तों को भी बैंक द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अ) निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ई-टेंडर ऑनलाइन जमा करने से पहले पूर्व-योग्यता/पात्रता

मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें ई-टेंडर के साथ सभी प्रासंगिक विवरण/जानकारी भी जमा करनी चाहिए और **एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करना चाहिए।**

- आ)** बोलियों के संबंध में बैंक की राय/निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। बैंक किसी भी समय किसी भी या सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- इ)** निविदाकर्ताओं को अनुलग्नक II में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार ग्राहकों की सेवा / कार्य अनुभव (वर्तमान और पिछले) की सूची अपलोड करनी चाहिए। **निविदाकर्ताओं को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कार्य पूर्णता/प्रदर्शन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।**
- ई)** बैंक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि/संतुष्टि के लिए इनमें से किसी भी ग्राहक से संपर्क करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक निविदाओं के भाग- II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन कर सकता है। यदि कोई निविदाकर्ता किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता को पूरा नहीं करता पाया जाता है और/या अपने ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त इसकी निष्पादन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I को खोलने के बाद भी अपने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ईएमडी निविदाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- उ)** बैंक अपूर्ण ई-निविदा प्रपत्रों या बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जहां निविदा को खाली छोड़ दिया गया है या यदि प्रस्तुत की गई जानकारी भ्रामक पाई जाती है।
- ऊ)** यदि किसी भी कारण से एजेंसी का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो किसी भी संगठन में, बैंक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ऋ)** बोली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की राय/निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। बैंक किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध पुरस्कार से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे निविदाकर्ताओं को कोई दायित्व नहीं मिलता है या कोई कारण नहीं बताया जाता है। इसके अलावा, बोलियों को सही तरीके से खारिज कर दिया जाएगा यदि प्रस्तुत की गई जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है या बोलियां सशर्त हैं।
- ल)** वित्तीय बोली (भाग-II) खोलने से पहले किसी भी समय, यदि निविदाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज या जानकारी गलत पाई जाती है, तो बैंक द्वारा निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।



भाग- I, खंड-IV

मूल्यांकन मानदंड

1. **भाग- I, तकनीकी बोली मूल्यांकन:** -बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत निविदा का मूल्यांकन नीचे वर्णित के रूप में किया जाएगा:

- अ. सबसे पहले, भाग- I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन किया जाएगा। निविदाकार पूर्व-योग्यता / पात्रता मानदंड में निर्दिष्ट तकनीकी मूल्यांकन के लिए सभी जानकारी प्रस्तुत करेंगे।
- आ. पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंड में उल्लिखित विभिन्न मदों के लिए सहायक दस्तावेजों को तकनीकी मूल्यांकन के लिए एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। **निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट दस्तावेजी साक्ष्य के बिना अपलोड की गई निविदाओं को बैंक द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।**
- इ. बैंक पात्रता मानदंड के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी और दस्तावेजों की जांच करेगा और तकनीकी बोली मूल्यांकन में योग्यता के संबंध में निर्णय लेगा।
- ई. बैंक, अपने विवेक पर, किसी भी बोलीदाता से अपनी निविदा के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण, जो बैंक के लिए उचित नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदा की कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेश किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उ. यदि कोई बोलीदाता बैंक द्वारा निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी।

नोट: - एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय सहायक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड की जानी चाहिए।

2. **भाग- II, वित्तीय बोली मूल्यांकन:** -

- अ. पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाता भाग- II वित्तीय बोलियां खोलने के अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। बैंक केवल योग्य बोलीदाताओं को ही वित्तीय बोली खोलने के समय/स्थान के बारे में केवल ई-मेल द्वारा सूचित करेगा।
- आ. वाहन और प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक श्रेणी के तहत बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत न्यूनतम दर (एल 1), स्वीकृति के लिए अन्य सभी योग्य बोलीदाताओं (तकनीकी मूल्यांकन में योग्य) को पेश की जाएगी। उपरोक्त में से केवल ऐसे निविदाकर्ताओं को पैनल के लिए माना जाएगा जो वाहन की प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक आइटम के लिए बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत एल 1 दरों पर काम करने के लिए लिखित रूप में सहमत होते हैं।

- इ. बैंक किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, या निविदा प्रक्रिया को रद्द करने या किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे निविदाकर्ताओं को कोई दायित्व नहीं मिलता है या उसका कोई कारण नहीं बताया जाता है। इसके अलावा, सशर्त बोलियों, शून्य/शून्य बोलियों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- ई. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- उ. अनुचित रूप से कम कीमतों वाली बोलियां - जो लागत अनुमानों के साथ संरेखित नहीं हैं या व्यवहार्यता के लिए औचित्य की कमी हैं - परिचालन अखंडता और संविदात्मक वितरण की रक्षा के लिए अस्वीकार कर दी जा सकती हैं।



भाग- I, खंड-V

अनुबंध का दायरा और सेवाएं

1. ठेकेदार को वातानुकूलित कारें, एसयूवी आदि जैसे मारुति स्विफ्ट डिजायर, टोयोटा इटियाँस, होंडा अमेज़, हुंडई ऑरा, होंडा सिटी, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस, टोयोटा फॉर्च्यूनर और इसी तरह के अन्य वाहन प्रदान करने होंगे, जब भी बैंक द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग की जाती है।
2. बोली लगाने वाले को बैंक को सभी कारें यानी फॉर्च्यूनर, इनोवा हाइक्रॉस, इनोवा क्रिस्टा, मारुति स्विफ्ट डिजायर, टोयोटा इटियाँस, होंडा अमेज़, हुंडई ऑरा, होंडा सिटी और इसी तरह की अन्य श्रेणियों की कारों को तैनात करने की तारीख तक पांच (05) वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
3. सभी वाहन अच्छी स्थिति में होंगे, साफ-सुथरे असबाब के साथ।
4. बोलीदाता को बैंक द्वारा आवश्यक होने पर कारों का नियमित सेवा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा।
5. ठेकेदार को स्थानीय रूप से और पूरे भारत में यात्रा करने के लिए वैध टैक्सी परमिट और अन्य वैधानिक मंजूरी वाले वाहनों की विभिन्न श्रेणियों को प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।
6. ठेकेदार/निविदा फर्म/कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा प्रदान की गई टैक्सियाँ मोटर वाहन अधिनियम 1988 (और उसके संशोधन) के तहत पंजीकृत हैं।
7. तैनात चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जिसे यातायात कर्मियों द्वारा मांग किए जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
8. तैनात किए गए ड्राइवरों के पास अच्छा नैतिक चरित्र और ड्राइविंग का उचित अनुभव होना चाहिए। वे जरूरत पड़ने पर रास्ते में आने वाले वाहनों की मामूली मरम्मत में भाग ले सकेंगे।
9. चालक को साफ और साफ वर्दी में निर्दिष्ट स्थान और समय पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होगा।
10. ड्राइवर को दैनिक आधार पर माइलेज का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए और अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा इसे प्रमाणित करना चाहिए। चालक को सेवा का उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित यात्रा की गई किलोमीटर / रिलीज के समय आदि के पूरे विवरण के साथ ड्यूटी स्लिप रखनी होगी। इसके अलावा वह हर समय विनम्र, विनम्र और सेवा उन्मुख होगा। वह ड्यूटी पर रिपोर्ट करने वाले अतिथि को अपना मोबाइल नंबर प्रदान करेगा।
11. वाहनों को प्रदान किया जाएगा:

१. एक अंग्रेजी या हिन्दी और एक वित्तीय समाचार पत्र।
२. 500 मिलीलीटर के ब्रांडेड मिनरल वाटर की दो बोतलें।
३. केस/पाउच में फेस टिशू पेपर।
४. प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स।

नोट: उपरोक्त के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

12. प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी कागजात जैसे बीमा, पंजीकरण प्रमाण पत्र, सड़क कर, प्रदूषण, परमिट, वैध लाइसेंस आदि प्रत्येक वाहन में चालकों के पास आसानी से उपलब्ध होंगे।
13. बैंक को प्रदान किए गए वाहन के खराब होने की स्थिति में ठेकेदार के पास आपातकालीन परिवहन/टूरिंग सुविधा प्रदाताओं की व्यवस्था करने की क्षमता होगी और वह सरकार/बीमा अधिकारियों के साथ संपर्क करने में भी सक्षम होगा।
14. ठेकेदार उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर फोन पर लिखित या मौखिक निर्देशों पर टैक्सी प्रदान करेगा। ठेकेदार को बैंक से अल्प सूचना पर टैक्सी प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी (आपात स्थिति के मामले में आधे घंटे के भीतर)। यदि ठेकेदार हमारे अनुरोध पर टैक्सी प्रदान करने में विफल रहता है, या तो फोन पर मौखिक या लिखित रूप में, बैंक ठेकेदार को परिवहन प्रदाताओं के पैनल से हटाने के लिए स्वतंत्र होगा।
15. ठेकेदार बैंक के कार डेस्क के अधिकारियों **और कार के उपयोगकर्ता को फोन के माध्यम से और उपयोगकर्ता** के आगमन/प्रस्थान से कम से कम **12 घंटे** पहले एसएमएस के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के बारे में सूचित करेगा:
 १. कार का निर्माण और रंग,
 २. कार पंजीकरण संख्या।
 ३. ड्राइवर का नाम और उसका मोबाइल नंबर।

यदि ठेकेदार निर्दिष्ट समय के भीतर उपरोक्त विवरण प्रदान करने में विफल रहता है, तो धारा VII में निर्दिष्ट जुर्माना - तरलता क्षति/जुर्माना ठेकेदार पर लगाया जा सकता है।

16. बैंक के अतिथि/उपयोगकर्ता अधिकारी को रिपोर्ट करने के बाद ड्राइवर को हमेशा कार के साथ उपलब्ध रहना चाहिए।
17. चालक को हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन आदि पर आने वाले अतिथि/अधिकारी के विवरण को दर्शाने वाली एक तख्ती प्रिंट और साथ रखनी होगी। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ड्राइवरों की ओर से सेवा में कोई कमी न हो।
18. चालक बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेंगे और सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में बैंक के नियमों और विनियमों का भी पालन करेंगे।



भाग- I, खंड-VI

अनुबंध के नियम और शर्तें

1. **अनुबंध और समीक्षा की अवधि:** यदि अनुबंध प्रदान किया जाता है, तो शुरू में बारह महीने की अवधि के लिए या बैंक द्वारा निर्दिष्ट के रूप में वैध होगा। अनुबंध को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर दो साल (एक समय में एक वर्ष) की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है और बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार एजेंसी के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन है।
2. **दरें:** बैंक द्वारा स्वीकार की गई दरें शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगी और बाद में नवीनीकरण, यदि कोई हो। **हालांकि, श्रम कानूनों या ईंधन मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले सरकार के निर्णय आदि में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अनुबंध के नवीकरण के समय इनकी समीक्षा की जा सकती है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।**
3. **समझौता:** निविदा की स्वीकृति के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते और शर्तों की अनुसूची के अनुसार **15 दिनों** के भीतर औपचारिक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक निविदा की लिखित स्वीकृति बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक समझौता 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादित किया गया हो या नहीं। जब तक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, तब तक बैंक द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। समझौते को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा। एक प्रति नियोक्ता की हिरासत में रहेगी और प्रति का दूसरा सेट एजेंसी की हिरासत में रहेगा। समझौता आवश्यक स्टॉप पेपर पर किया जाएगा और दोनों दस्तावेजों पर आवश्यक स्टॉप शुल्क की लागत पूरी तरह से एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी। यदि चयनित एजेंसी अनुबंध प्रदान करने के 15 दिनों के भीतर औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहती है या नियत तारीख पर काम शुरू करने में विफल रहती है, तो कार्य प्रदान करने वाले पत्र को रद्द माना जाएगा, इसके द्वारा किए गए ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा और बोलीदाता भी जोखिम और लागत के लिए उत्तरदायी होगा।
4. **बयाना राशि जमा:** सफल निविदाकर्ता/बोलीदाता का ईएमडी प्रदर्शन बैंक गारंटी प्राप्त होने पर वापस कर दिया जाएगा और इसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा।

5. **निष्पादन बैंक गारंटी:** एजेंसी निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक-IV में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में निविदा प्रदान करने के 14 दिनों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान करेगी।
6. **ईएमडी/प्रदर्शन बैंक गारंटी से कटौती:** इस अनुबंध की शर्तों के तहत एजेंसी द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को देय बिल/देय देय / प्रदर्शन बैंक गारंटी से काटा जा सकता है यदि राशि अनुमति देती है, और एजेंसी, जब तक कि ऐसी जमा अन्यथा देय न हो जाए, इस तरह की कटौती के दस दिनों के भीतर इस तरह की कटौती की गई राशि को अच्छा बना देगी।
7. ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और/या किसी अन्य लागू अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
8. निविदाकर्ता के पास श्रम कल्याण और अन्य उद्देश्यों जैसे ईएसआई, ईपीएफ, पैन, जीएसटी, और/या दस्तावेजी साक्ष्य और पंजीकरण प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत समर्थित ऐसे किसी भी अन्य पंजीकरण के लिए गठित वैधानिक प्राधिकरणों के साथ लागू और वैध पंजीकरण होगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त कार्य के लिए ड्राइवरों को नियुक्त करते समय इन कानूनों का पालन भी सुनिश्चित करना चाहिए। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा लगाया गया जुर्माना या उल्लंघन, यदि कोई हो, ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
9. एजेंसी अपने कर्मचारियों/कर्मचारियों के प्रबंधन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। एजेंसी और उसके कर्मचारियों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, एजेंसी अकेले किसी भी दावे और ऐसे किसी भी विवाद से उत्पन्न होने वाले परिणामों के निपटारे के लिए जिम्मेदार होगी, चाहे वह वैधानिक हो या अन्यथा। एजेंसी द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए कर्मचारियों के पास भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ स्थायी रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई दावा नहीं होगा। एजेंसी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैनात एजेंसी/कर्मचारियों के साथ कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा। एजेंसी अनुबंध की अवधि के दौरान इस तरह के किराए पर लिए गए जनशक्ति के संचालन के साथ-साथ अनुबंध की समाप्ति/समाप्ति के बाद के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। यह सुनिश्चित करना सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा तैनात श्रमिकों के संबंध में इस संबंध में आरबीआई, शिमला पर कोई दायित्व न हो। एजेंसी तैनात व्यक्तियों से इसे समझने की घोषणा प्राप्त करेगी और यह भी वचन देगी कि वे आरबीआई, शिमला के खिलाफ ऐसा कोई दावा नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, और बैंक को घोषणा और वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे। एजेंसी अनुबंध की समाप्ति के दौरान और बाद में ऐसे किराए के जनशक्ति द्वारा चूक/कमीशन/कदाचार/विवाद के किसी भी कार्य के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगी।
10. ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए ड्राइवर/कर्मचारी बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/गार्डों द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का पालन करेंगे और वाहनों/व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।
11. ठेकेदार अपने द्वारा लगाए गए व्यक्तियों के पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।

12. समय की पाबंदी और सेवा की गुणवत्ता समझौते का सार होगा। इसलिए, समझौते का नवीनीकरण ठेकेदार द्वारा समय की पाबंदी और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा।
13. सेवाओं में कमी और बैंक और उसके अधिकारियों को होने वाली गंभीर असुविधा के लिए या जिनके लिए बैंक सेवाएं प्रदान करने का निर्देश देता है, धारा VII में निर्दिष्ट जुर्माना लगाया जा सकता है - तरलता क्षति/जुर्माना। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।
14. यह ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह बिना किसी पूर्वाग्रह के रात/सुबह के दौरान बैंक द्वारा मांगे जाने पर टैक्सी/वाहन उपलब्ध कराए। किसी भी देरी पर बैंक द्वारा धारा VII - **तरलता क्षति/जुर्माना** के संदर्भ में उचित समझा जाएगा। ठेकेदार को अपने वाहन (वाहनों) के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। विफलता के मामले में, ठेकेदार इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए सभी खर्चों की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा और इसे ठेकेदार के बिल से काट लिया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और ऑपरेटर के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसा मुआवजा उपरोक्त पैरा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त हो सकता है। जुर्माना और मुआवजा, यदि कोई हो, ठेकेदार के किसी भी लंबित बिल से काट लिया जाएगा।
15. एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान की स्थिति में, उक्त नुकसान का दावा एजेंसी से नुकसान के मूल्य तक किया जाएगा। बैंक का निर्णय अंतिम होगा और एजेंसी के लिए बाध्यकारी होगा।
16. किसी भी मुकदमेबाजी, या एजेंसी के कर्मियों के किसी भी कार्य से उत्पन्न होने वाली कोई भी देयता सीधे एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी, जिसमें सभी खर्च/जुर्माना शामिल हैं। संबंधित एजेंसी के कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित होंगे।
17. यदि भुगतान के बाद लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी अधिक भुगतान का पता चलता है या निविदा के तहत एजेंसी द्वारा किए जाने का आरोप लगाया जाता है, तो इसे बैंक द्वारा एजेंसी से वसूल किया जाएगा।
18. समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद संशोधन की आवश्यकता वाले अनुबंध के किसी भी प्रावधान की स्थिति में, इसे लिखित रूप में बनाया जाएगा और बैंक और एजेंसी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस तरह के संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं।
19. किसी भी कारण से अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, एजेंसी/या इसके द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे, क्षति या अन्यथा के रूप में बैंक से किसी भी राशि या राशि के हकदार नहीं होंगे।
20. एजेंसी मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि (और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1952, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 या किसी अन्य नियम/विनियम/क़ानून के किसी भी उपबंध के उल्लंघन के लिए

सभी हानियों और दावों, हजनि या मुआवजे के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगी और क्षतिपूर्ति करेगी। एजेंसी केवल इस संबंध में देनदारियों, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार होगी।

21. बैंक धारा 194-सी, जीएसटी पर टीडीएस, और/या आयकर अधिनियम की किसी अन्य लागू धारा के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती करेगा, एजेंसी से उसमें शामिल आय पर आयकर के रूप में ऐसी राशि की प्रचलित दरों पर। किसी अन्य लागू अधिनियम/नियम के तहत कोई अन्य वैधानिक कटौती, यदि आवश्यक हो, तो भी लागू होगी।

22. एजेंसी रजिस्टर और रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगी और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देशों का पालन करेगी। ठेकेदार किसी भी विधायी अधिनियमों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आरबीआई, शिमला को उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने से उत्पन्न होने वाली चूक, गलती, उल्लंघनों और/या किसी भी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय के सभी कृत्यों से क्षतिपूर्ति दिलाएगा। इसके तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में ठेकेदारों की विफलता और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों/या किसी भी उप-नियम या इनमें से किसी के तहत बनाए गए नियमों या इनमें से किसी के तहत, आरबीआई, शिमला ऐसे किसी भी नुकसान या खर्च को कवर करने का हकदार होगा, जो उसे इस तरह के दावों, मांग के कारण भुगतान पड़ सकता है या वहन करना पड़ सकता है, ठेकेदार के भुगतान से नुकसान या चोट।

23. एजेंसी इस अनुबंध के संबंध में भारत के कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। एजेंसी रिटर्न दाखिल करने के प्रमाण देने वाली पावती की प्रतियां प्रस्तुत करेगी और नियोक्ता को उसके संबंध में एजेंसी के कर, ब्याज, जुर्माना आदि की देयता के खिलाफ पूरी तरह से क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी।

24. अनुबंध को सबलेटिंग (Subletting):

१. ठेकेदार अनुबंध के किसी भी हिस्से को असाइन या सबलेट नहीं करेगा। ठेकेदार अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सभी व्यवस्था करेगा; नियोक्ता किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता ठेकेदार को अनुबंध को रद्द करने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता को सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।
२. प्रत्येक बोलीदाता को अपनी बोली के साथ पुष्टि करने और घोषित करने की आवश्यकता होती है कि कोई भी एजेंट, बिचौलिया या कोई मध्यस्थ इस अनुबंध के पुरस्कार और प्रदर्शन से संबंधित कोई सेवा, या कोई अन्य वस्तु या कार्य प्रदान करने के लिए संलग्न नहीं किया गया है। यदि बैंक को बाद में इसके विपरीत पता चलता है, तो वह अनुबंध को तुरंत रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25. अप्रत्याशित घटना खंड: - यदि किसी भी समय, अनुबंध की निरंतरता के दौरान, अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के किसी भी पक्ष द्वारा पूरे या आंशिक रूप से प्रदर्शन को किसी भी युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक शत्रुता के कार्यों, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी या ईश्वर के कृत्यों (इसके बाद "घटनाओं" के रूप में संदर्भित) के कारणों से रोका या देरी की जाती है, बशर्ते ऐसी किसी भी घटना की घटनाओं की सूचना, जो नोटिस देने वाले पक्ष के देश में उपयुक्त प्राधिकारियों/चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा विधिवत समर्थित हो, पार्टी द्वारा जितनी जल्दी हो सके दूसरे को रियायत मांगने वाली पार्टी द्वारा दी जाती है, लेकिन उसके घटित होने और समाप्त होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर और पार्टी को उसके द्वारा किए गए उपायों से पर्याप्त रूप से संतुष्ट करती है, न तो पक्ष, इस तरह की घटना के कारण, अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस तरह के गैर-प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी के संबंध में दूसरे के खिलाफ नुकसान के लिए कोई दावा होगा, और इस तरह की घटना के समाप्त होने या अस्तित्व में समाप्त होने के बाद पैनल के तहत सेवाओं को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाएगा और बैंक का निर्णय कि सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं या नहीं, अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि अनुबंध के तहत पूरे या आंशिक रूप से या किसी भी दायित्व में प्रदर्शन को 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी घटना के कारण रोका या देरी की जाती है, तो बैंक अपने विकल्प पर, अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

26. एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म को भुगतान: -

- १) बैंक के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के मामलों को छोड़कर, बिलों का भुगतान सभी प्रकार से बिलों के उत्पादन के तीस (30) दिनों के भीतर किया जाएगा। भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। पैनल में शामिल ठेकेदार एनईएफटी के लिए अधिदेश प्रस्तुत करेंगे।
- २) यदि ठेकेदार कार की श्रेणी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, जिसके लिए बैंक द्वारा बुकिंग की गई है, तो उसे वाहन की उच्च श्रेणी प्रदान करनी होगी। हालांकि, बैंक द्वारा बुक किए गए वाहन की श्रेणी के लिए भुगतान किया जाएगा।

27. यदि ठेकेदार दस्तावेज के भाग- II में उल्लिखित टैक्सी के अलावा कोई भी मेक या मॉडल प्रदान करने में सक्षम है, तो इन्हें प्रासंगिक श्रेणी के तहत शुल्क के साथ शामिल किया जा सकता है।

28. लेखा परीक्षा: यदि भुगतान के बाद लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी अधिक भुगतान का पता चलता है या निविदा के तहत एजेंसी द्वारा किए जाने का आरोप लगाया जाता है, तो इसे बैंक द्वारा एजेंसी से वसूल किया जाएगा। यदि कोई कम भुगतान पाया जाता है, तो बिलों के उत्पादन पर बैंक द्वारा एजेंसी को राशि का विधिवत भुगतान किया जाएगा।

29. गैर-प्रकटीकरण खंड: - निविदाकर्ता और उसके कर्मचारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेंगे,

जो इस अनुबंध के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान निविदाकर्ता के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेंगे। निविदाकर्ता अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर। निविदाकर्ता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। निविदाकर्ता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को निविदाकर्ता की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और इसके लिए कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य के लिए लगे व्यक्तियों को गैर-प्रकटीकरण आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाए और निविदाकर्ता अपने व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा। उपर्युक्त करारों के तहत निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित गैर-प्रकटीकरण खंड अनिश्चित काल तक जीवित रहेगा।

30. **कार्य निष्पादित करने में विफलता के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार:** - निविदाकर्ता समझता है कि यह ई-निविदा दस्तावेजों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और बैंक से प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने पर तुरंत कार्य निष्पादित करने की स्थिति में है। बैंक से निविदा प्रदान करने के बाद, निविदाकर्ता बैंक से पुरस्कार पत्र में उल्लिखित तिथि से आवश्यक संख्या में व्यक्तियों को तैनात करने के लिए बाध्य होगा। निविदाकर्ता द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की जाती है कि केवल सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने से ही कार्य प्रदान करने की गारंटी नहीं होती है और यह कार्य बैंक की संतुष्टि पर अंतिम रूप से प्रदान किया जाएगा कि निविदाकर्ता ई-निविदा की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में है/होगा। यदि निविदाकर्ता अनुबंध प्रदान करने पर कार्य शुरू करने में विफल रहता है, तो बैंक सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने और निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ईएमडी राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, निविदाकर्ता भी सभी जोखिमों और लागतों के लिए उत्तरदायी होगा। बैंक इस तरह के चूक करने वाले निविदाकर्ता को तीन साल की अवधि के लिए बैंक में किसी भी भविष्य की ई-निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का अपना अधिकार भी सुरक्षित रखता है, हालांकि, ऐसा करने से पहले बैंक निविदाकर्ता को सात दिनों का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दे सकता है और निविदाकर्ता द्वारा इस तरह के नोटिस के लिए दिए गए उत्तर पर विचार कर सकता है।
31. यात्रा शुरू होने से पहले सेवा के प्रत्येक अतिथि/उपयोगकर्ता को मांग पर एक फीडबैक फॉर्म प्रदान किया जाना चाहिए। इस फीडबैक फॉर्म पर उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए और इसे भुगतान के लिए शुल्क पर्ची के साथ बैंक को जमा किया जाना चाहिए।

32. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न:** - निविदाकर्ता "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

- १) बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत निविदाकर्ता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और निविदाकर्ता शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
- २) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- ३) निविदाकर्ता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे निविदाकर्ता के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।
- ४) निविदाकर्ता कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

33. **स्पष्टीकरण:** किसी भी मद या विनिर्देश में चूक और/या संदेह या विसंगतियों के सभी मामलों में, नियोक्ता को एक संदर्भ दिया जाएगा जिसकी व्याख्या, विस्तार या निर्णय को प्रामाणिक माना जाएगा। एजेंसी को इस तरह के संदर्भ और सावधानी के अभाव में काम में होने वाली किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

34. ठेकेदार/एजेंसी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरताएगी। बैंक ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी की मृत्यु या चोट या दुर्घटना के लिए किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो उनके कर्तव्यों के दौरान उत्पन्न हो सकता है। एजेंसी ऐसे कर्मचारियों और उनके परिवारों को इस तरह के नुकसान या मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

35. **लाइसेंसिंग और पंजीकरण:** -

- १) एजेंसी ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 या समय-समय पर लागू किसी अन्य अधिनियम/नियम/कानून के तहत पंजीकरण / लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी और आवेदन से संबंधित एक प्रमाण प्रस्तुत करेगी। एजेंसी कार्य प्रदान करने/आदेश जारी करने आदि के 90 दिनों के भीतर इस तरह का पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त करेगी, ऐसा न करने पर कार्य का पुरस्कार रद्द कर दिया जाएगा और केवल एजेंसी ही कार्यों/कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगी। बैंक को एजेंसी के कार्यों,

कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से एजेंसी द्वारा लगाए गए मजदूरों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।

- 2) ठेकेदार राज्य श्रम/भारत सरकार (श्रम मंत्रालय) के नियमों और विनियमों और अन्य सभी सांविधिक अधिनियमों/विनियमों और इस अनुबंध से संबंधित नियमों का पालन करेगा, जिसमें कार्य संविदा अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1950 और समय-समय पर संशोधित मजदूरी अधिनियम 1935 और समय-समय पर संशोधित भविष्य निधि अधिनियम, ईएसआई अधिनियम, आदि और सरकार और स्थानीय निकाय द्वारा लागू किए गए ऐसे अन्य वैधानिक अधिनियम, नियम और विनियम, जो लागू हो रहे हैं, जो इस समझौते पर लागू हो सकते हैं। ठेकेदार सरकार और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित उपरोक्त नियमों, विनियमों आदि में से किसी की लापरवाही या गैर-अनुपालन के कारण विक्रेता की ओर से चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों और क्षति के खिलाफ रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।
- 3) ठेकेदार श्रम के प्रावधान के संबंध में कानून की सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित श्रम विभाग से एक उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त किया जाए, जैसा भी लागू हो। यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांगे जाने पर उपरोक्त के प्रमाण में आवश्यक सांविधिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करे। ठेकेदार के श्रमिकों से संबंधित किसी भी श्रम समस्या के मामले में, इसे ठेकेदार की ओर से ही निपटाया जाएगा।
- 4) इस अनुबंध को पूरा करने के लिए एजेंसी द्वारा तैनात किसी भी व्यक्ति के वेतन के संबंध में किसी भी धन के भुगतान में चूक की स्थिति में और यदि श्रम अधिकारियों के कार्यालय में कोई दावा दायर किया जाता है और श्रम अधिकारियों की संतुष्टि के लिए उसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, बैंक, एजेंसी द्वारा उक्त धन का भुगतान विफल करने पर, एजेंसी की ओर से उक्त श्रम प्राधिकरणों को इस तरह के दावे का भुगतान कर सकता है और इस प्रकार भुगतान की गई कोई भी राशि बैंक द्वारा एजेंसी से वसूल की जाएगी।
- 5) यदि श्रम प्राधिकारियों के किसी अनुदेश या किसी भी श्रम कानून, या विनियम के तहत किए गए दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप किसी भी धन का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाएगा, तो ऐसी धनराशि ठेकेदार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को सात दिनों के भीतर संदेय मानी जाएगी। बैंक विक्रेता के कारण धन से या सुरक्षा जमा (बैंक गारंटी सहित) से कटौती करके विक्रेता से राशि की वसूली करने का हकदार होगा।

36. समझौते का निष्पादन:-

- 1) एजेंसियों के लिए नियम और शर्तें और कार्यों और सेवाओं का दायरा और यहां से पहले निर्दिष्ट विशेष शर्तें सफल निविदाकर्ता के साथ दर्ज किए जाने वाले समझौते का आधार और हिस्सा होंगी।
- 2) ई-निविदा की स्वीकृति के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता उसमें निर्दिष्ट

तिथि से अनुबंध को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। सफल निविदाकर्ता शिमला में लागू स्टाम्प कानूनों के अनुसार उक्त करार पर उचित और अपेक्षित स्टांप शुल्क राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। बैंक द्वारा अतिरिक्त स्टांप शुल्क, दंड के रूप में या एजेंसी/ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की अपर्याप्तता या अनुपयुक्तता के कारण बैंक द्वारा किया गया कोई भी आर्थिक दायित्व एजेंसी/ठेकेदार पर हस्तांतरित होगा और बैंक सुरक्षा जमा से या निविदाकर्ता द्वारा उठाए गए बिलों से या किसी अन्य वैध तरीके से राशि वसूलने का हकदार होगा। जहां उक्त उद्देश्य के लिए सुरक्षा जमा का उपयोग किया जाता है, एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म तुरंत उपयोग की गई राशि को पूरा कर देगी। ऐसा करने में विफलता समझौते में एक भौतिक शर्त का उल्लंघन हो सकती है और इसके परिणाम होंगे।

- 3) समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, बैंक द्वारा अपने आप में एक निविदा की लिखित स्वीकृति बैंक और बोली लगाने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी समझौते का गठन नहीं करेगी, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।
- 4) बैंक पूर्व-योग्यता के लिए पार्टियों की क्षमता और क्षमता का आकलन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी/सभी निविदाओं या उसके किसी भी हिस्से को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बैंक के पास सबसे कम उद्धृत निविदा को स्वीकार करने का कोई दायित्व नहीं है। इस संबंध में आरबीआई का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 5) **स्टांप ड्यूटी** - ठेकेदार स्टांप शुल्क वहन करेगा। समझौते को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा, और बैंक मूल प्रति को बनाए रखेगा और ठेकेदार डुप्लिकेट प्रति को अपने पास रखेगा।

37. ई-टेंडर की वैधता:

- 1) कीमतों के साथ ई-निविदा भाग- I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए शुरू में वैध रहेगी, जिसे बैंक द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान ई-निविदा को रद्द या वापस नहीं लेंगे या उद्धृत दरों में बदलाव नहीं करेंगे।
- 2) जमा किए गए सभी दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए और एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
- 3) बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
- 4) यदि सफल बोलीदाता निर्धारित मूल्य के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी की गई सुरक्षा जमा जमा करने में विफल रहता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर करार को निष्पादित

करने में विफल रहता है तो बैंक अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

- ५) बैंक सफल बोलीदाता को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/हाथ/ई-मेल द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से सूचित करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है। (इसके बाद और अनुबंध की स्थिति में जिसे "पुरस्कार पत्र" कहा जाता है)।
- ६) इसके अलावा, बैंक ऐसे व्यक्तियों को तीन साल की अवधि के लिए बैंक में किसी भी निविदा/किसी भी कार्य में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले, बैंक ठेकेदार को सात दिनों का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दे सकता है और ठेकेदार को प्रतिबंधित करने पर अंतिम निर्णय लेने से पहले एससीएन को प्रस्तुत किए गए किसी भी उत्तर पर विचार कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
- ७) अनुबंध पूर्ण रूप से लागू होगा और पुरस्कार पत्र जारी करने की तारीख से प्रभावी होगा। उपरोक्त खंडों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सफल बोलीदाता की विफलता बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत जमानत जमा/बैंक गारंटी को रद्द करने और जब्त करने के लिए पर्याप्त आधार होगी।

38. जोखिम और लागत खंड: - किसी अन्य खंड में निहित किसी भी बात के बावजूद, आरबीआई अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में निविदाकर्ता की ओर से किसी भी विफलता के कारण या उसके दिवालिया होने या परिसमापन में जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदाकर्ता की ओर से विफलता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा और निविदाकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा। निविदाकर्ता की ओर से किसी भी विफलता की स्थिति में, आरबीआई को बिना किसी पूर्वाग्रह के, निविदाकर्ता के जोखिम और लागत पर किसी अन्य वैकल्पिक निविदाकर्ता के माध्यम से काम करने का अधिकार होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वहन की गई अतिरिक्त लागत, हानि, यदि कोई हो, की वसूली निविदाकर्ता से की जाएगी।

39. समझौते की समाप्ति: -

- अ) ऊपर दिए गए किसी पूर्वाग्रह के बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे के भुगतान के लिखित सूचना द्वारा इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि
 - १) बैंक की राय में (जिसे निविदाकर्ता द्वारा प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा और निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा), निविदाकर्ता बैंक की संतुष्टि के लिए इस समझौते को लागू करने में विफल रहता है या इनकार करता है और/या
 - २) निविदाकर्ता इस समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है और/या
 - ३) ठेकेदार/एजेंसी को दिवालिया घोषित किया जाता है, या उसके द्वारा अपने लेनदारों के साथ एक समझौता किया जाता है या यदि संकट या निष्पादन या अन्य प्रक्रिया पर लगाया जाता

है या रिसीवर को एजेंसी की संपत्ति या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए नियुक्त किया जाता है और/या

४) किसी भी कारण से, एजेंसी इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून में अयोग्य हो जाती है।

आ) किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति की स्थिति में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, निविदाकर्ता या इसके द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे, क्षति या अन्यथा के रूप में बैंक से किसी भी राशि या रकम के हकदार नहीं होंगे।

इ) इस अनुबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद, गैर-अनुपालन, अवज्ञा, या अनुबंध की किसी भी शर्त के उल्लंघन या निविदाकर्ता द्वारा असंतोषजनक या अकुशल काम करने की स्थिति में, बैंक के पास बिना कोई कारण बताए निविदाकर्ता को लिखित रूप में नोटिस देने के बाद इस अनुबंध को रद्द करने का पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार होगा और यह निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा और अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा नोटिस में निर्धारित समयावधि को पूरा करना, जिस स्थिति में निविदाकर्ता किसी भी मुआवजे/क्षति का हकदार नहीं होगा और सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाएगी।

ई) कोई भी पक्ष लिखित रूप में तीन स्पष्ट कैलेंडर महीनों का नोटिस देकर समझौते को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि, नोटिस अवधि के दौरान ठेकेदार अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा, जब तक कि बैंक द्वारा विशेष रूप से समाप्त नहीं किया जाता है।

40. अनुबंध को निम्नलिखित आकस्मिकताओं में से किसी में समाप्त माना जाएगा:

(१) अनुबंध की अवधि की समाप्ति या समझौते की समाप्ति पर।

या

(२) सेवाओं की मुद्रा के दौरान किसी भी समय एक महीने का नोटिस, यदि निविदाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं और सेवाओं के लिए निर्धारित सामान्य मानदंडों और मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं।

या

(३) निविदाकर्ता द्वारा किसी तीसरे पक्ष को अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से को या उसके तहत किसी लाभ या हित को सौंपने पर, निविदा के नियमों और शर्तों के खिलाफ किसी तीसरे पक्ष को अनुबंध का पूरा या एक हिस्सा उप-पट्टे देने के लिए।

या

- (४) सक्षम न्यायालय द्वारा निविदाकर्ता को दिवालिया घोषित किए जाने पर। अनुबंध की समाप्ति के लिए नोटिस अवधि के दौरान, ऊपर विचार की गई स्थिति में, निविदाकर्ता नोटिस अवधि की समाप्ति तक पहले की तरह अपनी सेवाओं का निर्वहन जारी रखेगा। नोटिस अवधि के दौरान अपनी सेवाओं की गैर-डिलीवरी / गैर-वितरण के मामले में, बैंक को निविदाकर्ता द्वारा बैंक के साथ जमा की गई सुरक्षा जमा राशि को जब्त करने का अधिकार होगा। निविदाकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी आधार पर अनुबंध की समाप्ति पर उसके द्वारा तैनात सभी व्यक्तियों को हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति बैंक के लिए किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान/बाधा/समस्या पैदा न करे।

या

- (५) किसी भी कारण से, निविदाकर्ता इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून में अयोग्य हो जाता है।

या

- (६) इस तरह के परिवर्तन के लिए बैंक के लिखित अनुमोदन के बिना निविदाकर्ता या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंधन में कोई भिन्नता है।

ठेकेदार की मृत्यु, दुर्बलता, दिवालियापन या किसी अन्य कारण या परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं की स्थिति में, अनुबंध की देनदारियों को निम्नलिखित द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर वहन किया जाएगा, जैसा कि बैंक उचित समझे, अर्थात्:

अ) एकमात्र मालिक के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी

आ) कंपनी या फर्म के मामले में अगले निदेशक/भागीदार, जैसा भी मामला हो।

बैंक अनुबंध को रद्द कर सकता है और मामले की परिस्थितियों के अनुसार मामले को निपटाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जैसा कि वह उचित समझे।

41. **मध्यस्थता:** - बैंक और विक्रेता अनुबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी असहमति या विवाद के मामले में, प्रत्यक्ष अनौपचारिक बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, इस अनुबंध के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज़ के तहत भुगतान पर इसकी व्याख्या। यदि इस तरह की अनौपचारिक बातचीत शुरू होने के 30 दिनों के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक और विक्रेता सौहार्दपूर्ण अनुबंध विवाद को हल करने में असमर्थ हैं, तो पार्टियां आपसी समझौते द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के माध्यम से इसे हल करने का प्रयास करेंगी। मध्यस्थता की कार्यवाही शिमला

में ही होगी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए और लागू नियम ऐसी कार्यवाही पर लागू होंगे।

42. **न्यायालय का अधिकार क्षेत्र:** अनुबंध जिला न्यायालय, शिमला/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

घोषणा:

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि उपर्युक्त अनुबंध मुझे/हमें सौंपा जाता है तो यह मुझे/हमारे ऊपर बाध्यकारी रहेगा।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम: (_____)

हस्ताक्षरकर्ता यानी मालिक/भागीदार की स्थिति: _____

कंपनी/फर्म/प्रोपराइटर की मुहर



भाग- I, खंड-VII

तरलता क्षति/जुर्माना

- अ. **भुगतान रोकना:** बैंक इस हद तक भुगतान रोक सकता है कि, यह उचित रूप से विश्वास करता है कि एजेंसी इस समझौते के अनुसार दायित्वों का उल्लंघन कर रही है। यदि उल्लंघन ऐसा है कि इसे ठीक किया जा सकता है, तो एजेंसी को कमी को दूर करने के लिए 07 (सात) दिनों का नोटिस दिया जाता है। एक बार जब सेवा प्रदाता ने कमी को ठीक कर लिया है, तो बैंक इस कारण पर रोकी गई राशि का भुगतान करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की रोकी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
- आ. **भुगतान से कटौती:** बैंक एजेंसी के बिल से कटौती कर सकता है, उल्लिखित सेवा स्तर समझौते (एसएलए) के अनुसार जुर्माने के दावों के कारण राशि, लागत या दावे, हानि, क्षति, एजेंसी द्वारा की गई दोषपूर्ण सेवाएं, आदि, जो सीधे बैंक द्वारा की जाती हैं ('प्रत्यक्ष क्षति') जो एजेंसी की लापरवाही से उत्पन्न होती हैं। यदि एजेंसी उल्लंघन को सुधारने में विफल रहती है, जैसा कि उल्लेख किया गया है, तो बैंक के पास एजेंसी के बिल से ऐसी राशि काटने के लिए बिना किसी और सूचना के विवेक है, और यह अधिकार इस समझौते के तहत बैंक के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के अतिरिक्त है।
- इ. टैक्सी सेवाएं आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाएंगी और सेवाओं में कमी और बैंक और उसके अधिकारियों को होने वाली गंभीर असुविधा के लिए, विक्रेता पर परिसमापन क्षति/जुर्माना लगाया जाएगा जैसा कि प्रासंगिक उपयोग के लिए अनुमानित बिल पर नीचे दिया गया है। ठेकेदार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उचित नोटिस और अवसर देने के बाद, निविदा दस्तावेज के "तरलता क्षति/जुर्माना" में दिए गए उल्लंघनों के लिए ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- ई. हालांकि, बैंक उचित सूचना देने के बाद ही इसे लेगा। विवाद के मामले में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक शिमला के पास अपील की जा सकती है जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।
- उ. कार्य दंड खंड: - सेवाएं आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाएंगी, और ऐसा करने में असमर्थता के मामले में, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है, ठेकेदार दंड के लिए उत्तरदायी है।

परिचालन कार्य दंड: परिचालन आवश्यकताओं को सीमित करने वाला कार्य दंड निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:

क्रम संख्या	सेवा स्तर समझौता (SLA)	विफलता सहनशीलता स्तर	जोखिम	जुर्माना प्रति माह
	सामान्य			
1.	ऊ्यूटी से गायब है ड्राइवर	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 20%।
2.	चालक द्वारा किसी स्टाफ सदस्य/अतिथि आदि के साथ दुर्व्यवहार।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 20%।
3.	समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफलता	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 20%
4.	वाहन की साफ-सफाई/असबाब/स्थिति उचित नहीं	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 20%
5.	तैनाती की तारीख तक 05 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की आपूर्ति की गई।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 20%
6.	ऊ्यूटी के दौरान वर्दी या गंदी वर्दी में नहीं होने वाले ड्राइवर	शून्य	मध्यम	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 15%।
7.	बैंक को पूर्व सूचना दिए बिना ऊ्यूटी के समय के बीच में ड्राइवर का परिवर्तन	शून्य	संख्या आदि	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 15%
8.	बैंक द्वारा आवश्यक वाहनों की संख्या प्रदान करने में सक्षम नहीं	शून्य	मध्यम	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 15%
9.	निविदा में उल्लिखित आवश्यक वस्तुएं (समाचार पत्र, पानी की बोतलें, सैनिटाइजर, कार की खुशबू, हवाई अड्डे के पिकअप के लिए प्लेकार्ड) प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं	शून्य	संख्या आदि	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 15%
10.	ऊ्यूटी स्लिप नामित अतिथि द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है	शून्य	मध्यम	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 15%

ऊ. विधेयक की राशि पर जुर्माना

उच्च जोखिम	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 20%।
मध्यम जोखिम	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 15%।
कम जोखिम	बिल मूल्य का न्यूनतम 5% से अधिकतम 10%।

कार्यान्वयन: उपर्युक्त समझौते और वैधानिक आवश्यकताओं की निगरानी बैंक द्वारा की जानी चाहिए और यदि कोई दंड हो तो उसे संसाधित करना है।

इसे माफ करने का निर्णय बैंक के क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के पास होगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम/पदनाम और मुहर के साथ)



भाग- I, खंड-VIII

**तकनीकी-वाणिज्यिक बोली/तकनीकी बोली
(ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए प्रासंगिकता में पढ़ा और भरा जाना है)**

(स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप), विधिवत हस्ताक्षरित, एमएसटीसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ई-निविदा जमा करते समय अपलोड किया जाना चाहिए)

क्रम संख्या I	आवश्यक सूचना/दस्तावेज	विवरण	अपलोड किया गया फ़ाइल नाम
1.	बोलीदाता का नाम		
	पंजीकृत कार्यालय का पता,		
	संपर्क व्यक्ति और फोन नंबर		
	पत्राचार के लिए पता,		
	पत्राचार के लिए संपर्क व्यक्तियों, फोन नंबर और ई-मेल		
2.	संगठन का प्रकार/रूप: (प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी)		
	स्थापना/पंजीकरण की तिथि		
	पंजीकरण प्राधिकरण		
	पंजीकरण संख्या। और तारीख (उपरोक्त के लिए प्रासंगिक सहायक दस्तावेज अपलोड करें एमएसटीसी पोर्टल)		
	संगठन के प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर्स का नाम और ई-मेल आईडी।		

क्रम संख्या ।	आवश्यक सूचना/दस्तावेज	विवरण	अपलोड किया गया फ़ाइल नाम
3.	i) 31 दिसंबर, 2025 तक कार सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में अनुभव। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी प्रमाण यानी अनुभव प्रमाण पत्र / कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र आदि के साथ अनुलग्नक-1 के अनुसार ग्राहकों की सूची अपलोड करें)		
	ii) 31 दिसंबर, 2025 तक पिछले पांच (05) वर्षों के दौरान सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कार रेंटल/किराए पर सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में अनुभव। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी प्रमाण यानी अनुभव प्रमाण पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें)		
4.	पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के दौरान बोलीदाता के लिए वार्षिक कारोबार (एमएसटीसी पोर्टल पर आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र/मूल्यांकन आदेश/खातों का सीए प्रमाणित विवरण/लेखापरीक्षित बैलेंस शीट अपलोड करें)		
	वित्तीय वर्ष 24-25		
	वित्तीय वर्ष 23-24		
	वित्त वर्ष 22-23		
5.	कारों का बेड़ा: - बोलीदाता के स्वामित्व वाली कारों की संख्या/विवरण जैसा कि अनुलग्नक-11 में निर्दिष्ट है। कुल कारों में से, टेंडर के बेड़े में मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, होंडा अमेज, टोयोटा इटियोस, हुंडई ऑरा और 03 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा/इनोवा हाइक्रॉस में से न्यूनतम 03 कारें होंगी।		

क्रम संख्या ।	आवश्यक सूचना/दस्तावेज	विवरण	अपलोड किया गया फ़ाइल नाम
	(एमएसटीसी पोर्टल पर अनुलग्नक-II, आरसी, अखिल भारतीय टैक्सी परमिट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)		
6.	शिमला में कार्यालय: - शिमला में बोलीदाता के कार्यालय का विवरण/पता। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करें)		
7.	बोलीदाता का जीएसटी पंजीकरण नंबर। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)		
8.	बयाना धन जमा (ईएमडी): - बोलीदाता द्वारा जमा बयाना धन जमा (ईएमडी) का विवरण ((जमा पर्ची/एनईएफटी प्रूफ, यूटीआर संख्या आदि की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें)		
	जमा की गई राशि		
	यूटीआर नं.		
	तारीख		
9.	वचनपत्र: - क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, शिमला को विधिवत हस्ताक्षरित वचन पत्र जिसमें स्वीकृति सामान्य और निविदा के विशिष्ट नियम और शर्तें शामिल हैं। (एमएसटीसी पोर्टल पर अनुलग्नक-III अपलोड करें)		
10.	कंपनी/फर्म/एजेंसी के बैंकों का विवरण:		
	बैंक का नाम		
	खाता संख्या		
	खाते का प्रकार		
	आईएफएससी कोड		
11.	जहां तक एजेंसी दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत है और टूर एंड ट्रेवल्स/कार-हायरिंग एजेंसी चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस का विवरण है		

क्रम संख्या ।	आवश्यक सूचना/दस्तावेज	विवरण	अपलोड किया गया फ़ाइल नाम
12.	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी		

नोट- पूर्व-योग्यता पात्रता मानदंड में निर्दिष्ट उपरोक्त के लिए दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज का विवरण (सूची सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है) नीचे दिया गया है: -

- अ) कंपनी/फर्म/एजेंसी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- आ) अनुलग्नक-। में कंपनी/फर्म/एजेंसी द्वारा सेवा प्रदान किए गए ग्राहकों की सूची और दस्तावेजी साक्ष्य/कार्य आदेश/समझौते/आदि।
- इ) ग्राहक प्रमाण पत्र/प्रतिक्रिया।
- ई) बोलीदाता के स्वामित्व वाली कारों की सूची जैसा कि अनुलग्नक-॥ में निर्दिष्ट है।
- उ) कंपनी/फर्म/एजेंसी के वार्षिक कारोबार विवरण (पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के लिए)।
- ऊ) कंपनी/फर्म/एजेंसी का आयकर रिटर्न (पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के लिए)।
- ऋ) कंपनी/फर्म/एजेंसी की लेखापरीक्षित तुलन पत्र (पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के लिए)।
- ल) कंपनी/फर्म/एजेंसी का निगमन/पंजीकरण विवरण।
- एँ) पैन नं. कंपनी/फर्म/एजेंसी की।
- ऐ) कंपनी/फर्म/एजेंसी की जीएसटी पंजीकरण संख्या।
- ए) अनुलग्नक-॥ के अनुसार कंपनी/फर्म/एजेंसी के लेटर हेड पर उपक्रम/घोषणा।
- ऐ) ईएमडी रसीद/पावती।
- ऑ) स्वामित्व वाली कारों की सूची।
- ओ) बीमा कागजात।
- ओ) टैक्सी परमिट।
- औ) प्रदूषण प्रमाण पत्र।
- अं) कोई अन्य दस्तावेज।

(ऊपर निर्धारित पूर्व-योग्यता पात्रता मानदंड आवश्यकताओं के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य के बिना निविदा पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। बैंक निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी को प्रमाण के लिए कॉल करने/सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है)।

बोलीदाता द्वारा घोषणा:

मैं/हमने इस ई-निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले यहां निहित सभी उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उपर्युक्त अनुबंध मुझे/हमारे साथ निष्पादित होने की स्थिति में उनका पालन करने के लिए खुद को वचन देते हैं। मैं/हम समझते हैं कि बैंक किसी भी या सभी ई-निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बिना कोई कारण बताए के।

दिनांक इस ___day _____2026 का।

मैसर्स मैसर्स की ओर से और उसकी ओर से.....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)



भाग - II: वित्तीय बोली

खंड IX: वित्तीय/मूल्य बोली के नियम और शर्तें

कार किराए पर लेने वाली एजेंसियों/कंपनियों/

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला

स्थानीय और बाहरी दौरों के लिए विभिन्न प्रकारों (एसी/नॉन-एसी) की कार/यूटिलिटी वाहन उपलब्ध कराने के लिए। नीचे दिए गए विभिन्न उपयोगों के अनुसार दर संरचना के अनुसार व्यापक होगा, जिसमें निविदाकर्ता के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वाहनों और विभिन्न प्रकार की सेवाओं का विवरण होगा। दरें जीएसटी से अलग होंगी।

(यहां दरों को उद्धृत न करें। दरें केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत की जाएंगी)

A. कार किराए के लिए दर चार्ट (रुपये में राशि) करों को छोड़कर:

मूल्य शीर्षलेख/कार्य का विवरण	कॉम्पैक्ट सेडान (इंडिगो डिजायर/इटियोस/अमेज या इसी तरह का वेरिएंट)	07 सीटर (टोयोटा मारुति अर्टिगा/टोयोटा रुमियन या इसी तरह का वेरिएंट)	टोयोटा Innova Crysta/Hycross या इसी तरह का वेरिएंट	टेम्पो ट्रैवलर या फोर्स अर्बनिया
स्थानीय यात्रा				
05 घंटे/50 किमी (आधा दिन)				
10 घंटे/100 किमी (पूरा दिन)				
स्थानीय यात्रा - प्रति किमी शुल्क अतिरिक्त				

स्थानीय यात्रा - प्रति घंटे अतिरिक्त शुल्क				
बाहरी यात्रा				
प्रति किमी शुल्क				

बी. मूल्य बोली/वित्तीय बोली के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

- अ) उद्धृत दरों में बीमा शुल्क, समान शुल्क, मरम्मत शुल्क आदि शामिल होने चाहिए।
- आ) उद्धृत दरों में केंद्र सरकार या किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए शुल्कों/शुल्कों को शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वे मौजूदा हों या भविष्य, जैसा भी लागू हो, जिसके लिए कोई अलग दावा नहीं किया जाएगा।
- इ) उद्धृत दरें शुरू में 01 वर्ष (यानी 31 मार्च, 2027 तक) और बाद के नवीनीकरण, यदि कोई हो, के लिए वैध होंगी।
- ई) अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी घटना/सम्मेलन के लिए आवश्यक वाहनों की किसी भी संख्या के लिए उद्धृत दरें शामिल होनी चाहिए।
- उ) उद्धृत दरें जीएसटी (माल और सेवा कर) से अलग होंगी। कानून के अनुसार, लागू करों को स्रोत पर काटा जा सकता है और इसके लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।
- ऊ) गैरेज और पिकअप के बिंदु और वापस गैरेज के संबंध में दावा की जाने वाली अधिकतम दूरी **10 किलोमीटर** तक सीमित होगी।
- ऋ) बाहरी श्रेणी के तहत न्यूनतम किलोमीटर **200 किलोमीटर** माना जाएगा।
- ल) **रुकावट शुल्क:** बाहर रहने के मामले में, रुकावट शुल्क की गणना के लिए न्यूनतम **100 किलोमीटर** की दूरी को ध्यान में रखा जाएगा। स्थानीय यात्रा के लिए कोई निरोध शुल्क नहीं दिया जाएगा।
- एँ) हवाई अड्डे के ड्रॉप/पिकअप, रेलवे स्टेशन ड्रॉप/पिकअप और अन्य मामलों (अंदर/पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बाहरी यात्रा) के मामले में पार्किंग शुल्क, पथकर प्रभार और अंतरराज्यीय परमिट की प्रतिपूर्ति मूल रसीदों के उत्पादन के अधीन की जाएगी।

ऐ) 5 घंटे से अधिक लेकिन 10 घंटे से कम समय के किसी भी अतिरिक्त मिनट को अगले पूरे घंटे तक पूर्णांकित किया जाएगा (उदाहरण के लिए 5 घंटे 10 मिनट को 6 घंटे के रूप में गिना जाएगा, इसलिए बिलिंग 5 घंटे/50 किलोमीटर प्लस 1 घंटे के लिए होगी)। यदि किसी भी मामले में, 5 घंटे/50 किमी ड्यूटी (अतिरिक्त 4 घंटे और 49 किमी तक) के लिए बिलिंग राशि 10 घंटे/100 किमी से अधिक है, तो बिल की प्रतिपूर्ति 10 घंटे/100 किमी की दरों के अनुसार की जाएगी, या जो भी कम हो।

ए) **नाइट हॉल्टिंग चार्ज:** सभी प्रकार की वाहनों के लिए आउटस्टेशन यात्रा (रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक) के लिए प्रति रात निश्चित दर पर **₹300/- (रुपये तीन सौ मात्र)** का रात्रि ठहराव शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

ऐ) **रद्दीकरण शुल्क:** यदि बैंक द्वारा किसी भी कारण से बुकिंग रद्द कर दी जाती है, तो विक्रेता को निम्नलिखित दरों के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा:

रद्द करने का समय	शुल्क
प्रस्थान से 24 घंटे पहले >	शून्य
प्रस्थान से 24 घंटे से 12 घंटे पहले >	25%
प्रस्थान से 12 घंटे पहले <	50%

ऑ) निविदाकर्ताओं द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्धृत न्यूनतम दरें अन्य सभी निविदाकारों के लिए लागू होंगी।

ओ) सांविधिक दायित्वों/बाजार स्थितियों और/या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आदि की स्थिति में बैंक उपर्युक्त दरों पर फिर से बातचीत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ओ) अनुचित रूप से कम कीमतों वाली बोलियां - जो लागत अनुमानों के साथ संरेखित नहीं हैं या व्यवहार्यता के लिए औचित्य की कमी हैं - परिचालन अखंडता और संविदात्मक सुपुर्दगी की रक्षा के लिए बैंक द्वारा अस्वीकार कर दी जा सकती हैं।

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

ग्राहक सूची

निविदाकर्ता द्वारा निष्पादित समान कार्यों की सूची

[illegible]

नोट: (i) ग्राहक के लेट-हेड में अनुभव प्रमाण पत्र/कार्य आदेश/पूर्णता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें।

(ii) उपर्युक्त ग्राहकों द्वारा जारी की गई निष्पादन रिपोर्ट/प्रमाण पत्र संलग्न करें।

कार्यालय मुहर के साथ फर्म/बोलीदाता के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम

अनुलग्नक II

मालिक/एजेंसी के नाम पर स्वामित्व वाली कारों/वाहनों की सूची

एस. एन.	कार/वाहन का नाम	को गढ़ना	उत्पादन का वर्ष	पंजीकरण संख्या।	क्या कार आरटीओ में वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत है (हां/नहीं)	टैक्सी/कार के पास ऑल इंडिया टैक्सी परमिट है या नहीं
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

निविदाकर्ता के लेटलेटर हेड पर दिया जाने वाला लेटर ऑफ अंडरटेकिंग

सेवा मेरे
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
शिमला 171009

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला की आवश्यकताओं के अनुसार कॉल के आधार पर कार उपलब्ध कराने के लिए एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों के पैनल में शामिल करने के लिए

उपरोक्त के जवाब में और भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ पूर्ण समझौते में:

१. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इस बोली पर हस्ताक्षर करने / अपलोड करने से पहले, मैं/हमने सामान्य रूप से तकनीकी और वित्तीय बोलियों दोनों और विशेष रूप से निविदा की अनुसूची (खंड-I), ई-निविदा (अनुभाग-II), पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंड (अनुभाग-III), मूल्यांकन मानदंड (धारा IV) के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है। अनुबंध का दायरा और सेवाएं (अनुभाग-V), अनुबंध के नियम और शर्तें (धारा VI), तरलता क्षति/जुर्माना (धारा -VII), तकनीकी बोली (धारा -VIII), और वित्तीय बोली (भाग II, खंड IX) और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।
२. मैं/हमने बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया को समझ लिया है जैसा कि निविदा दस्तावेज में उल्लिखित है, शर्तों में निविदा दस्तावेज का उल्लेख किया गया है। मैं/हम यह भी समझते हैं कि बैंक को बिना कोई कारण बताए मेरी/हमारी निविदा बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और उसका निर्णय मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।
३. मैं/हम उपरोक्त कार्य करने के संबंध में संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ वैधानिक पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इस संबंध में प्रस्तुत/अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वास्तविक और वैध हैं।

४. मुझे/हमें किसी भी सरकारी विभाग/वित्तीय संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र के उपक्रमों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है/पिछले 10 वर्षों से कानून/पुलिस अधिकारियों की अदालत के समक्ष कोई मामला लंबित नहीं है।
५. यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम अनुबंध अवधि की शुरुआत की तारीख से कारों/टैक्सियों को प्रदान करने के लिए सहमत हैं।
६. मैं/हम पूरी तरह से समझते हैं कि यदि कार्य प्रदान किया जाता है तो कार्य करने में विफलता के मामले में ईएमडी राशि जब्त की जा सकती है।
७. अनुबंध का पुरस्कार प्राप्त करने पर, मैं/हम ₹_____ (केवल _____ रुपये) की सुरक्षा जमा राशि के बदले **अनुलग्नक-IV** के अनुसार एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगे, जो अनुबंध की समाप्ति के बाद 60 दिनों के लिए वैध होगी।
८. मैं/हम यह भी समझते हैं कि **सुरक्षा जमा के बदले में, समझौते के अनुसार कार्य को विधिवत निष्पादित करने में मेरी/हमारी ओर से विफलता की स्थिति में या मुझे/हमारे कारण नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में निष्पादन बैंक गारंटी (अनुलग्नक-IV) का उपयोग किया जाएगा।**

तुम्हारा ईमानदारी से,

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान: _____

दिनांक: _____

सेवा मेरे

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

शिमला

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला की आवश्यकताओं के अनुसार कॉल के आधार पर कार उपलब्ध कराने के लिए एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों के पैनल में शामिल करने के लिए

जबकि

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है) गारंटी के इस विलेख ने इस दिन दो हजार का दिन बनाया (बैंकर का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय (स्थान) और इसके स्थानीय कार्यालय में से एक (इसके बाद इसके बाद जमानतदार के रूप में संदर्भित किया गया है), और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा गठित एक निगम, जिसका कार्यालय मुख्य बाजार में है, कसुम्टी, शिमला- 171009 इंडिया (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित)

जबकि (निविदाकर्ता का नाम इसके बाद निविदाकर्ता के रूप में संदर्भित) _ के तहत पंजीकृत एक कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय यहां है, कार रेंटल / हायरिंग एजेंसियों के पैनल के लिए अपनी निविदा के संबंध में बैंक गारंटी के रूप में बैंक गारंटी के रूप Rupees_____ में बैंक के साथ एक प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है और उसमें संलग्न विनिर्देशों और नियमों और शर्तों के संबंध में।

जबकि निविदाकर्ता खंड संख्या 1 के अनुसार है। (ख) निविदाकर्ताओं को दिए गए अनुदेशों की धारा II में बयाना राशि को नकद में जमा करने के बजाय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

अब यह गारंटी गवाह है

हम (बैंक) एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, उनके उत्तराधिकारियों से सहमत हैं और वचन देते हैं, यह निर्दिष्ट करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि निविदाकर्ता ने निविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा, हम भारतीय रिज़र्व बैंक की मांग पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को ₹___/- (रुपये ___) की राशि या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांगी जा सकने वाली किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हालांकि, इस तरह की राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹___/- (रुपये ___) की राशि से अधिक नहीं होगी।

हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि पूर्वोक्त रूप से ₹___ (केवल ___ रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी विरोध या विरोध के किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक से मांग किए जाने पर कि राशि उनके लिए देय है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक से नोटिस निर्णायक और बाध्यकारी होगा हम पर और हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति हमारा दायित्व भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदाकर्ता के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

यह गारंटी हमारे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी

(उपर्युक्त बैंक के लिए और उसकी ओर से)

के लिए और की ओर से

(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर का नाम और मुहर का पता)